

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा।

पत्रांक: सं०/ब०शि०/मान्यता/ ०५४५-६७/2018-19 दिनांक 11/01/2019

प्रत्यक्षक,

द मिलेनियम स्कूल,

मथुरा

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 28-08-2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात् वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं द मिलेनियम स्कूल, मथुरा को दिनांक 01-04-2019 से दिनांक 31-03-2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरे किये जाने के अधीन है।

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्ग के और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेंगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण उसे प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष अवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के अनुसार अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

SUKHVIR SINGH

PRINCIPAL

A.N.V. KOLARA KALAN

AGRA (U.P.)

PRINCIPAL

THE MILLENNIUM SCHOOL

MATHURA

MANAGER

THE MILLENNIUM SCHOOL

MATHURA

PRINCIPAL
ROSY PUBLIC SCHOOL
P.D.R.O.M., TATEHGARH (U.P.)

PRINCIPAL
ROSY PUBLIC SCHOOL
P.D.R.O.M., TATEHGARH (U.P.)

MANAGER

THE MILLENNIUM SCHOOL

MATHURA

- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगा।
 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल— 3428 वर्ग मी०
- कुल निर्मित क्षेत्र— 1178.1 वर्ग मी०
- कीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल—.....
- कक्षाओं की संख्या—10
- प्रधानाध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भण्डारागार के लिए कक्ष—है।
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक, शौचालय—है।
- पेयजल सुविधा—है।
- मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई—है।
- बाधारहित पहुंच—है।
- अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद, उपस्कर्ता/पुस्तकालय की उपलब्धता—है।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्टरेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टिमों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 48/19 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
 17. विद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष यू—डायस व एस०डी०एम०आई०एस० डाटा रिपोर्ट कार्यालय जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
 18. संलग्नक उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा।

SUKHVIR SINGH
PRINCIPAL
J.N.V. KOLARA KALAN
AGRA (U.P.)

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा।

- पू०स०/ब०शि०/ / 2018–19 दिनांक वही।
- प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बैसिक) आगरा। *Banday*
 2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/विभागीय शिक्षा अधिकारी, जनपद—मथुरा।

PRINCIPAL
ROSY PUBLIC SCHOOL
PWD ROAD, FATEH GARTH (U.P.)

Go Bo
MANAGER
THE MILLENNIUM SCHOOL
MATHURA

M. J. Singh
PRINCIPAL
THE MILLENNIUM SCHOOL
MATHURA

Neha
PRINCIPAL
THE MILLENNIUM SCHOOL
MATHURA